

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ का लागि घर नक्सा पास दस्तुर

निर्णय नं. १२ र ७६ संग सम्बन्धीत

१२.१५	घर नक्सा पास दस्तुर	भवन ऐन २०५५ अनुसार घरको प्रकार		
क	भूमिगत (प्रतिवर्गफूट)	क	ख	ग
	आवासीय घर	५१००	४१५०	३१००
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	५१५०	४१५०	३१५०
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	५१५०	४१५०	३१५०
	होटल व्यवसाय	५१५०	४१५०	३१५०
	वित्तीय संस्था	५१५०	४१५०	३१५०
	सरकारी कार्यालय भवन	५१५०	४१५०	३१५०
ख	भुईतला (ग्राउण्ड) प्रतिवर्गफूट			
	आवासीय घर	६१००	५१५०	४१००
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	६१५०	६१००	४१५०
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	६१५०	६१००	४१५०
	होटल व्यवसाय	६१५०	६१००	४१५०
	वित्तीय संस्था	६१५०	६१००	४१५०
	सरकारी कार्यालय भवन	६१५०	६१००	४१५०
ग	पहिलो तला प्रतिवर्गफूट			
	आवासीय घर	६१५०	६१००	५१००
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	७१००	६१५०	५१००
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	७१००	६१५०	५१००
	होटल व्यवसाय	७१००	६१५०	५१००
	वित्तीय संस्था	७१००	६१५०	५१००
	सरकारी कार्यालय भवन	७१००	६१५०	५१००
घ	दोश्रो तला प्रतिवर्गफूट			
	आवासीय घर	७१५०	७१००	६१००
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	८१००	७१००	६१५०
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	८१००	७१००	६१५०
	होटल व्यवसाय	८१००	७१००	६१५०
	वित्तीय संस्था	८१००	७१००	६१५०
	सरकारी कार्यालय भवन	८१००	७१००	६१५०
ङ	तेश्रो तथा प्रतिवर्गफूट			
	आवासीय घर	८१००	७१००	६१००
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	८१५०	८१००	७१५०
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	८१५०	८१००	७१५०
	होटल व्यवसाय	८१५०	८१००	७१५०
	वित्तीय संस्था	८१५०	८१००	७१५०
	सरकारी कार्यालय भवन	८१५०	८१००	७१५०
च	सोभन्दा माथीका			
	आवासीय घर	८१५०	८१००	
	व्यापारी घर/ पेट्रोलम्प	९१००	८१००	
	निजी स्कूल/स्वास्थ्य	९१००	८१००	
	होटल व्यवसाय	९१००	८१००	
	वित्तीय संस्था	९१००	८१००	
	सरकार कार्यालय भवन	९१००	८१००	
	सबै कम्पाण्डवाल प्रति रनिडफिट		रु ३१०	